



## पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की शुक्रवार, दिनांक 11/07/2014 को

समय अपरान्ह 4.30 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.06.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)
02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
1.	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर	बी.बी.ए.	2014-15	01. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय एवं अध्यक्ष, प्रबंधन संस्थान, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 02. प्रो. आर. पी. दास, आचार्य, प्रबंधन संस्थान, पं. र. शु.वि.वि. रायपुर	<u>निरीक्षण तिथि :- .....</u> BBA पाठ्यक्रम की स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया : 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. महाविद्यालय में परिनियम 28 के तहत कुल 03 शिक्षक प्रबंधन विषय के लिये नियुक्त किये गये हैं। जिसमें वर्तमान में दो शिक्षक कार्य कर रहे हैं। जिनका वेतन बैंक के माध्यम से किया जाता है। 3. महाविद्यालय में गैर-शैक्षणिक स्टाफ परिनियम 28 के तहत नियुक्त है। 4. महाविद्यालय में बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में छात्र संख्या एवं Six सेमेस्टर्स की विषयवार पुस्तकों की कुल संख्या 540 है जो अपर्याप्त है। प्राचार्य ने बताया कि और पुस्तकें क्रय कर ली जायेगी। 5. बी.बी.ए. Ist year की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2010-11 में दी गई थी। अतः विनियम 129 के तहत कम से कम 5 वर्ष पूर्ण होने चाहिये जो वर्तमान सत्र 2014-15 में पूर्ण होंगे तदोपरान्त विचार किया जा सकता है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
		बी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए.	2014-15	01. प्रो. एम. डब्ल्यू.वाय. खान, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 02. डॉ. संजय कुमार, अध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस अध्ययन मण्डल, पं. र. शु.वि.वि. रायपुर 03. प्रो. एच.के. पाठक, अध्यक्ष, गणित अ.शा.	<b>Inspection Date : 04-06-2014</b> Inspection of the college was done on 04-06-2014, and noted the observations as under. 1. Infrastructure is adequate for both PGDCA and BCA course. 2. 53 Computers are available alongwith Campus license of Micosoft. 3. Ist bathc of BCA Started in 2011-12 session, however PGDCA started in 1994-95 session. 4. Library facilities are adequate. 5. Only 2 Faculty Members of computer science are appointed under section 28, which is adequate for PGDCA course, however additional regular faculty is required for BCA. 6. College is having only 20290 Sq. fit area.
		बी. कॉम. एवं एम. कॉम. (All Compulsory Subject)	2014-15	01. प्रो. ओ. पी. चंद्राकर, आचार्य, वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय, भाटापारा 02. प्रो. अब्दुल करीम, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल एवं सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद 03. प्रो. के. एल. राठी, आचार्य, वाणिज्य, शासकीय महिला महाविद्यालय, दुर्ग	<b>निरीक्षण तिथि :- 09.05.2014</b> विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 317/अका. /2014 दिनांक 09.05.2014 के परिपालन में आज दिनांक 06 जून, 2014 को निरीक्षण समिति ने महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया और पाया कि - 1. महाविद्यालय की अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की तुलना में स्थायी सहायक प्राध्यापकों की संख्या कम है। प्रवेशित छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर कम से कम 05 (पांच) और सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अधीन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। 3. वाणिज्य विषय की लगभग एक लाख की पाठ्यपुस्तकें/संदर्भित ग्रंथ और क्रय किये जाने की अनुशंसा की जाती है। 4. वाणिज्य विषय से संबंधित कम से कम 05 जर्नल एवं शोधपत्रिकाएं नियमित रूप से मंगाए जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
2.	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महावि. आमदी नगर, हुडको भिलाई, जिला-दुर्ग	बी.बी.ए.	2014-15	01. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय एवं अध्यक्ष, प्रबंधन संस्थान, पं. र.शु. वि.वि. रायपुर 02. प्रो. आर. पी. दास, आचार्य, प्रबंधन संस्थान, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 03. डॉ. सपन कुमार शर्मा, शास.व्ही. वाय.टी. पीजी कालेज, दुर्ग	बी.बी.ए. की स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत गैर-शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की गई है, भुगतान बैंक के माध्यम से होता है। 2. महाविद्यालय में बी.बी.ए. भाग-1 की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2005-06 में 30 सीट से दी गई थी, सत्र 2007-08 में सीट संख्या 30 से 70 कर दी गई। सत्र 2012-13 में सीट संख्या 100 दी गई। अतः स्थायी सम्बद्धता पाठ्यक्रम को पांच वर्ष पूर्ण हो गये हैं। लेकिन कितनी सीटों को मान्य किया जाने स्पष्ट नहीं है। 3. विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत केवल 02 शिक्षकों की नियुक्ति प्रबंध पाठ्यक्रम हेतु की गई है जो अपर्याप्त है। 4. 100 सीटों के लिये पुस्तकें कम है।

03. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2014 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2014 में किये गये अनुमोदन के अनुसार रावतपुरा सरकार संस्थान द्वारा बी. एड. पाठ्यक्रमों के लिए संचालित 04 महाविद्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण कर कार्यालयीटन टीप संलग्न है।

04. सत्र 2014-15 के लिये एन.सी.टी.ई. द्वारा निम्नलिखित 3 नये महाविद्यालय जिसमें दो बी.एड.एवं 1 बी.पी.एड. की स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है।

4.1. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्लाट नं.-629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668, ग्राम/पोस्ट-पचेड़ा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर को सत्र 2014-15 से बी.पी.एड-100 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्लाट नं.-629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668, ग्राम/पोस्ट-पचेड़ा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर को सत्र 2014-15 हेतु प्राप्त एन.सी.टी.ई. के 7(9) के आधार पर बी.पी.एड. पाठ्यक्रम के लिए निरीक्षण किया गया था। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2013 में अनुमोदित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.10.2013 में निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर, श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्लाट नं.-629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668, ग्राम/पोस्ट-पचेड़ा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर को विनियम 14(3)(a) के आधार पर अनुमति प्राप्त होने के बाद अस्थायी सम्बद्धता के संबंध में प्रस्ताव पुनः रखे जाने की अनुशंसा की गई थी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भोपाल ने Recognition Order WRC/APP1333/202<sup>nd</sup>/ B.P.Ed/2014/115856 Date 01-03-2014 के द्वारा सत्र 2014-15 से बी.पी.एड. प्रारंभ किये जाने की अनुमति जारी की गई है।

सत्र 2014-15 से प्रारंभ किये जाने हेतु श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्लॉट नं.-629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668, ग्राम/पोस्ट-पचेड़ा, तहसील- अभनपुर, जिला-रायपुर द्वारा सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी गई है।

श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्लॉट नं.-629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668, ग्राम/पोस्ट-पचेड़ा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर को सत्र 2014-15 से बी.पी.एड. 100 सीट की सम्बद्धता हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

4.2. रवि शंकर ग्लोबल एजुकेशन कालेज, प्लॉट नं.-131/9-10-1, ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना कैम्प, तह.-धरसीवां, जिला-रायपुर 492015 को सत्र 2014-15 से बी.एड.-100 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : रवि शंकर ग्लोबल एजुकेशन कालेज, प्लॉट नं.-131/9-10-1, ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना कैम्प, तह.-धरसीवां, जिला-रायपुर 492015 को सत्र 2014-15 हेतु प्राप्त एन.सी.टी.ई. के 7(9) के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए निरीक्षण किया गया था। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2014 में अनुमोदित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 में निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर, रवि शंकर ग्लोबल एजुकेशन कालेज, प्लॉट नं.-131/9-10-1, ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना कैम्प, तह.-धरसीवां, जिला-रायपुर 492015 को विनियम 14(3)(a) के आधार पर अनुमति प्राप्त होने के बाद अस्थायी सम्बद्धता के संबंध में प्रस्ताव पुनः रखे जाने की अनुशंसा की गई थी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भोपाल ने Recognition Order WRC/APP1330/202<sup>nd</sup>/ B.Ed/2014/115843 Date 01-03-2014 के द्वारा सत्र 2014-15 से बी.एड. प्रारंभ किये जाने की अनुमति जारी की गई है।

सत्र 2014-15 से प्रारंभ किये जाने हेतु रवि शंकर ग्लोबल एजुकेशन कालेज, प्लॉट नं.-131/9-10-1, ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना कैम्प, तह.-धरसीवां, जिला-रायपुर 492015 द्वारा सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी गई है।

रवि शंकर ग्लोबल एजुकेशन कालेज, प्लॉट नं.-131/9-10-1, ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना कैम्प, तह.-धरसीवां, जिला-रायपुर 492015 को सत्र 2014-15 से बी.एड. 100 सीट की सम्बद्धता हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

- 4.3. श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-581/2, ग्राम-पचेड़ा, पोस्ट-कुरु, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर- 493661 छत्तीसगढ़ को सत्र 2014-15 से बी.एड-100 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-581/2, ग्राम-पचेड़ा, पोस्ट-कुरु, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर- 493661 छत्तीसगढ़ को सत्र 2014-15 हेतु प्राप्त एन.सी.टी.ई. के 7(9) के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए निरीक्षण किया गया था। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2013 में अनुमोदित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2013 में निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर, श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-581/2, ग्राम-पचेड़ा, पोस्ट-कुरु, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर- 493661 छत्तीसगढ़ को विनियम 14(3)(a) के आधार पर अनुमति प्राप्त होने के बाद अस्थायी सम्बद्धता के संबंध में प्रस्ताव पुनः रखे जाने की अनुशंसा की गई थी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भोपाल ने Recognition Order WRC/APP1851/201<sup>st</sup>/ B.Ed/2014/115160 Date 22-02-2014 के द्वारा सत्र 2014-15 से बी.एड. प्रारंभ किये जाने की अनुमति जारी की गई है।

सत्र 2014-15 से प्रारंभ किये जाने हेतु श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-581/2, ग्राम-पचेड़ा, पोस्ट-कुरु, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर- 493661 छत्तीसगढ़ द्वारा सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी गई है।

श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-581/2, ग्राम-पचेड़ा, पोस्ट-कुरु, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर- 493661 छत्तीसगढ़ को सत्र 2014-15 से बी.एड 100 सीट की सम्बद्धता हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

05. दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर में संचालित बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (आई.टी.), डी.सी. एच., पी.जी.डिप्लोमा इन आई.टी., बी.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स), एम.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स), सर्टिफिकेट एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा पाठ्यक्रम की कक्षाओं को सत्र 2013-14 से बंद किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर में बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (आई.टी.), डी.सी.एच., पी.जी.डिप्लोमा इन आई.टी., बी.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स), एम.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स), सर्टिफिकेट एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा पाठ्यक्रम की सम्बद्धता समाप्त किये जाने के संबंध में कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, परिसर, रायपुर का पत्र पृ. क्रमांक 2237/494/2014/38-2 रायपुर, दिनांक 05.06.2014 के द्वारा बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (आई.टी.), डी.सी.एच., पी.जी.डिप्लोमा इन आई.टी., बी.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स), एम.एस.सी.

(इलेक्ट्रानिक्स), सर्टिफिकेट एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा पाठ्यक्रम की कक्षा के अनुमति को सत्र 2013-14 से बंद किये जाने का आदेश प्रदान किया है। उक्त पाठ्यक्रम के अतिरिक्त महाविद्यालय में संचालित है।

दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर में बी.ए. एवं बी.एस-सी. की सम्बद्धता सत्र 2013-14 से समाप्त किये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

06. शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया की सम्बद्धता पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सम्बद्धता दिये जाने पर विचार करना।

टीप : शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध था। राज्य शासन द्वारा जिला पुनर्गठन करने के कारण अब पंडरिया को कबीरधाम जिला में सम्मिलित किया गया है, जिसके कारण, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. 5391/2942/2013/38-2 दिनांक 03.10.2013 एवं बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर का पत्र क्र. 615/अका./2014 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया को बिलासपुर विश्वविद्यालय से स्थानांतरित कर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु आदेशित किया है। (छायाप्रति संलग्न)

07. पूर्व संचालित निम्नलिखित महाविद्यालयों में सत्र 2014-15 के लिये नये विषय एवं सीट वृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना :-

- (1) विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
- (2) दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर
- (3) विवेकानंद महाविद्यालय, के.के. रोड, मौदहापारा, रायपुर
- (4) देव संस्कृति महाविद्यालय, जेवरा ग्राम खपरी, जिला-दुर्ग
- (5) अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर



टीप : पूर्व संचालित महाविद्यालयों में सत्र 2014-15 के लिये विषय एवं सीट वृद्धि हेतु प्राप्त आवेदन की सूची संलग्न है।

08. सत्र 2014-15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग
2	कालिन्दी महाविद्यालय स्वाती एजुकेशन सोसायटी लालपुर रायपुर
3	सांत्वना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान पीजी इंस्टीट्यूट आफ बिहेवियरल एण्ड मंडिकल साइंसेस, रायपुर
4	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज , समता कॉलोनी , रायपुर
5	राम कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 94 सुंदर नगर, रायपुर
6	प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-207, 2011, स्ट्रीट मेन रोड, पो.-उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
7	प्रतिभा कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम-बालसी, सराईपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
8	सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा), जिला-रायपुर (छ.ग.)
9	शास. पं. ज.ला.ने. कला एवं वाणिज्य महा. बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
10	भिलाई मैत्री महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
11	मां बहादुर कलारिन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, गुरुर (बालोद) जिला-बालोद (छ.ग.)
12	सेठ आर.सी.एस. विधि महा. दुर्ग (छ.ग.)
13	सेठ बद्रीलाल खण्डेलवाल शिक्षा महाविद्यालय, गौरवपथ, उतई रोड, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)

- 14 चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला-महासमुंद
- 15 साई महाविद्यालय, स्ट्रीट-69, सेक्टर-6, भिलाई जिला-दुर्ग
- 16 कचना धुरवा, महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 17 आर.के.एस. महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 18 सम्राट अशोका कॉलेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, कवर्धा, जिला-कबीरधाम
- 19 महात्मा गाँधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
- 20 आई.बी.टी. कालेज ऑफ साइंस एंड आर्टस् बेरला रोड, गिरहोला, अहिवारा, नंदिनी नगर, दुर्ग
- 21 स्व. जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना, जिला-महासमुंद
- 22 पं. के.एल.एस. विधि महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)
- 23 विंध्यवासिनि महाविद्यालय सनौद-बोहरा, जिला-बालोद (छ.ग.)
- 24 सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट कोपेडीह रोड, देवोदा, राजनांदगांव
- 25 शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांढर, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 26 दिशा कालेज आफ साइंस एंड कामर्स, प्लॉट नं.-788/1/2, 792/3, दिशा पार्क रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
- 27 विवेकानंद शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
- 28 शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद
- 29 गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर
- 30 कल्याण विधि महाविद्यालय, भिलाई नगर
- 31 रायल कालेज, लालबाग, राजनांदगांव
- 32 शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
- 33 डी.ए.व्ही. मॉडल कॉलेज, आर्य नगर, दुर्ग

09. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

  
कुलसचिव  




# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 507/अका./वि.प.स्थायी समिति/2014

रायपुर, दिनांक: 07/06/2014

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 03.06.2014 अपरान्ह 04.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. सी.एल. पटेल	-	सदस्य
3.	प्रो. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
4.	प्रो. स्वर्णलता सर्राफ	-	सदस्य
5.	प्रो. भगवंत सिंह	-	सदस्य
6.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
6.	प्रो. सी.डी. अगासे	-	सदस्य
7.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
8.	प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर	-	सदस्य
9.	प्रो. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

## बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु, चौबे कॉलोनी, रायपुर	बी.बी.ए.- तृतीय वर्ष	30	2012-13	<p><b>निरीक्षण तिथि:-03.05.2014</b> आज दिनांक 03.05.2014 को वि.वि. के पत्र क्र. 139/अका./2014 दिनांक 15.04.2014 को उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण BBA-III Year हेतु किया गया।</p> <p>1. प्राचार्यानुसार महाविद्यालय Shiftwise चलता है, अतः अधोसंरचना पर्याप्त है।</p> <p>2. पुस्तकालय में BBA-III year के अन्तर्गत (Vth &amp; VI th) Semester की पुस्तकें छात्र संख्या 30 के अनुपात में क्रय करने की आवश्यकता है।</p> <p>परिनियम-28 के तहत (03) शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी किन्तु (01) शिक्षक (दीप्ति बघेल) ने त्यागपत्र दिया है, पत्र संलग्न।</p>	सत्र 2013-14 में बी.बी.ए. तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में बिना सम्बद्धता के प्रवेश देकर परीक्षा आवेदन पत्र जमा करते हुए परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए। रिक्त पदों पर नियुक्ति शीघ्र किया जाए।



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
2.	शास. एन.सी. जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा, जिला-बालोद	M.A. Final Year-Hindi Political Sc.	30 30	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 14.04.2014 महाविद्यालय में अधोसंरचना संतोषजनक है। सम्बद्धता हेतु शर्तें :- (1) राजनीति विज्ञान एवं हिन्दी विषय में एक-एक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने। (2) राजनीति विज्ञान विषय की 20 हजार रूपयों एवं हिंदी साहित्य की 30 हजार रूपयों की पुस्तकें क्रय करने की शर्तों की पूर्ति के शर्त पर सत्र 2014-15 से राजनीति विज्ञान में 30 सीट एक हिंदी में 30 सीट की सम्बद्धता दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। पात्रता है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एक वर्ष के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
1.	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर	1. बी.एस.सी. -(बायो ग्रुप) (FC, Chemistry, Botany, Zoology)	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 03.05.2014 The Committee visited the college on 15-05-2014 regarding permanent affiliation for B.Sc. (Bio-group)-50 Seats. The course is running since 2001. 1. Three faculty (one each in Botany, Zoology & /Chemistry) are appointed in Section 28 and working in the college. Besides this one each faculty are appointed as Ad-hoc by the College. 2. Adequate infrastructure (Class room & labs for Botany, Zoology & Chemistry) faculty is available for 50 students. The lab have sufficient equipment & other lab facilities for B.Sc. I,II & III. 712 books are available in the library for Bio-group students. Two science magazines are also subscribed by the College.	स्थायी सम्बद्धता के संबंध में विनियम 129 में उल्लेखित बिंदुओं के तहत पुनः परीक्षण की जाए।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
		2. बी. कॉम. - (सभी अनिवार्य विषय)		<p>Based of the facilities it is recommended that :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Though the college fulfils the requirement norms for faculty number, it is suggested that at least one faculty each more be appointed in section 28.</li> <li>2. More number of Books (Botany - 250, Zoology-250 &amp; Chemistry-500) be procured in the Library.</li> <li>3. The laboratory facility be upgraded by procuring more equipments, specimen &amp; Consumables worth Rs. 3.00 lac.</li> </ol> <p><b>निरीक्षण तिथि :- 13.05.2014</b>  पं. र.शु.वि.वि. रायपुर के पत्र क्र. 245/ अका. /2014 रायपुर दिनांक 02.05.2014 के परिपालन में सत्र 2014-15 से बी.काम. (सभी अनिवार्य विषय) की स्थायी सम्बद्धता हेतु आज दिनांक 13 मई 2014 को वाणिज्य संकाय की तीन सदस्यीय समिति ने निरीक्षण किया। समिति ने निम्नलिखित शर्तों के आधार पर स्थायी सम्बद्धता की अनुशंसा करती है -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्रंथालय में वाणिज्य विषय की लगभग रु. एक लाख की पुस्तकें और क्रय की जाए।</li> <li>2. चूंकि विश्वविद्यालय की अनुमति से एम. कॉम. की कक्षाओं का भी अध्यापन हो रहा है, अतः समिति कम से कम दो सहायक प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति की अनुशंसा करती है।</li> </ol>	
2.	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महावि. आमदी नगर, हुडको भिलाई, जिला-दुर्ग	बी.सी.ए. (All Compulsory Subject)	2014-15	<p><b>Inspection Date - 21-05-2014</b>  The Committee visited the college Swami Shri Swaroopanand Saraswati Mahavidyalaya on 21-05-2014 and Observed the following :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The College has adequate facility, for running the BCA program.</li> <li>2. However, an additional computer lab consisting of at least 30 computers in essential.</li> <li>3. Currently the computer Science Department has three faculty under the statute 28, it needs two more faculty to be appointed under statute-28.</li> </ol>	स्थायी सम्बद्धता के संबंध में विनियम 129 में उल्लेखित बिंदुओं के तहत पुनः परीक्षण की जाए।
				4. More print version journals in the subject should be subscribed.	

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
		बी.एस.सी. (FC, Chemistry, Zoology, Biotechnology)		<p><b>Inspection Date - 16-05-2014</b> The Committee visited the college on 16-05-2014 for inspection regarding permanent affiliation for B.Sc (Biotechnology, zoology &amp; Chemistry) for 40 seats, The course is running since 2005.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Four faculty (one each in Zoology &amp; chemistry and two in Biotechnology) are appointed in section 28 and are working in the College.</li> <li>2. Adequate infrastructure (class room, laboratory for Biotechnology, Zoology and Chemistry) facility are available for 40 students. The lab have sufficient equipments &amp; other facilities for B.Sc. I,II &amp; III. 1130 books (430 Biotechnology, 401 Zoology &amp; 299 Chemistry) are available in the Library for Biogroup student. One Journal and one Science magazine are also subscribed by the College. It is suggested that.</li> <li>3. The College should have at least one faculty each for Chemistry &amp; Zoology more under Section 28.</li> <li>4. More number of Books (Biotechnology-100, Zoology-100 &amp; Chemistry-200) be procured in the Library.</li> <li>5. The Laboratory facilities be also upgraded by procuring more recent equipments, specimens &amp; consumables worth Rs. 3.0 lac.</li> </ol>	

04. एम.ए. अर्थशास्त्र में 'उषा-पवन दुबे स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने, विनियम क्रमांक 158 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : एम.ए. अर्थशास्त्र में 'उषा-पवन दुबे स्वर्ण पदक' प्रदान किये जाने के लिये विनियम क्रमांक 158 की अनुशंसा की गई।

05. पर्यावरण अध्ययन में व्याख्याता पद पर नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्र. D.O.No. F. 13-1/2000 (EA/ENV/COS-I) 2 मई, 2014 पर विचार करना।

निर्णय : पर्यावरण अध्ययन में व्याख्याता पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्र. D.O.No. F. 13-1/2000 (EA/ENV/COS-I) 2 मई, 2014 के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखा जावे।

06. स्नातक स्तर में छात्रों के प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्र. D.O.No. 1-52/2013 (CC/NSQF) अप्रैल 30, 2014 पर विचार करना।

निर्णय : स्नातक स्तर में छात्रों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्र. D.O.No. 1-52/2013 (CC/NSQF) अप्रैल 30, 2014 के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखा जावे।

07. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के गठन हेतु छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(पांच) के अंतर्गत विद्यापरिषद् द्वारा निम्नांकित ख्याति प्राप्त तीन विद्वानों के नाम के अनुमोदन पर विचार करना।

(1) डॉ. पुलोक के. मुखर्जी, डायरेक्टर, स्कूल ऑफ़ नेचुरल प्रोडक्ट स्टडीज, जाधवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता

(2) डॉ. श्रीनिवासन नरसिम्हन, आस्थागिरी हर्बल रिसोर्स फाउंडेशन, 7/1, सुंदरम कालोनी, चेन्नई

(3) डॉ. ए.टी. दाबके, पूर्व कुलपति, छ.ग. आयुष स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

निर्णय : विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के गठन हेतु छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(पांच) के अंतर्गत विद्यापरिषद् द्वारा निम्नांकित ख्याति प्राप्त तीन विद्वानों के नाम के अनुमोदन किया गया :-

(1) डॉ. पुलोक के. मुखर्जी, डायरेक्टर, स्कूल ऑफ़ नेचुरल प्रोडक्ट स्टडीज, जाधवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता

(2) डॉ. श्रीनिवासन नरसिम्हन, आस्थागिरी हर्बल रिसोर्स फाउंडेशन, 7/1, सुंदरम कालोनी, चेन्नई

(3) डॉ. ए.टी. दाबके, पूर्व कुलपति, छ.ग. आयुष स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

08. माँ बहादुर कलारिन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, गुरुर जिला-बालोद के समिति के हस्तांतरण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र पृ. क्र. 1639/319/2014/38-2 रायपुर दिनांक 23.04.2014 के आदेशानुसार उक्त महाविद्यालय को सचिव, विद्या कम्प्यूटर एजुकेशन सोसायटी, मधुवन स्कूल के पास, अशोक नगर, गुड़ियारी, रायपुर को हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

09. पी-एच.डी. संबन्धी पूर्व अध्यादेश क्रमांक 45 पर पंजीकृत होकर शोध उपाधि धारकों द्वारा रेगुलेशन 2009 की समकक्षता का प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : पी-एच.डी. संबन्धी पूर्व अध्यादेश क्रमांक 45 पर पंजीकृत होकर शोध उपाधि धारकों को रेगुलेशन 2009 की समकक्षता का प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि 11 जुलाई 2009 से 8 जून 2010 के मध्य पंजीकृत हुए शोधार्थियों को समकक्षता प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में परीक्षण कर निर्धारित बिंदु एवं प्रमाण पत्र के प्रारूप तय करने हेतु निम्नानुसार संकायाध्यक्षों की समिति का गठन किया गया :-

- (1) प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, अध्यक्ष, विज्ञान संकाय
- (2) प्रो. भगवंत सिंह, अध्यक्ष, कला संकाय
- (3) प्रो. आर. प्रसाद, अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय
- (4) प्रो. एस.सी. नैथानी, अध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय

10. सत्र 2014-15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-


क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	उदय महाविद्यालय, नेरा, ए.सी.सी. बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला- दुर्ग
2	छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, सेक्टर -6, भिलाई नगर, दुर्ग
3	कांतिदर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, कोसा नगर भिलाई
4	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, मनसा आई.टी.सी. कैम्पस, कोहका रोड, कुरुद, भिलाई
5	राष्ट्रीय एवं वैदेशिक भाषा संस्थान, अथर्व आई.टी. कैम्पस, गौरव पथ, दुर्ग
6	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर
7	सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-तुलसी, मंदिर हसौद, रायपुर
8	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम- बेलभाटा, अभनपुर जिला- रायपुर
9	आदर्श कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, नई गंज मण्डी, रायपुर
10	सेंट्रल कॉलेज ऑफ आई.टी. फाफाडीह, रायपुर
11	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई रोड, आमापारा, रायपुर
12	* प्रगति कॉलेज सेंट्रल एवेन्यू चौबे कालोनी, रायपुर
13	विकास शिक्षा महाविद्यालय देवपुरी-फुंडहर मार्ग, डूमरतराई, रायपुर
14	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेलभाटा, अभनपुर जिला- रायपुर
15	सोमनी महाविद्यालय, सोमनी तह. व जिला- राजनांदगांव
16	कमलाकांत शुक्ला इंस्टीट्यूट, देवरी, भाटापारा, जिला- बलौदाबाजार- भाटापारा
17	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2014-15 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता आदेश प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। \*प्रगति कॉलेज सेंट्रल एवेन्यू चौबे कालोनी, रायपुर के संबंध में बाद में निर्णय लिया जावेगा।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

1. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र पृ. क्र. एफ 17-24/2013/ 38-1 रायपुर दिनांक 12.05.2014 के आदेशानुसार शासकीय कमला देवी महिला महाविद्यालय, जिला-राजनांदगांव का नाम "शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय, जिला-राजनांदगांव" नामकरण किये जाने का अनुमोदन किया गया।
2. विश्वविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अशैक्षणिक पदों यथा - संचालक/कंट्रोलर, सिनियर सिस्टम प्रोग्रामर, सिस्टम प्रोग्रामर/सिस्टम एनालिस्ट, ट्रेनिंग सह प्लेसमेंट ऑफिसर, जनसम्पर्क अधिकारी एवं लेखा अधिकारी की शैक्षणिक अर्हता/अनुभव के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 16.05.2014 एवं 20.04.2014 में की गई अनुशंसा, का अनुमोदन किया गया।
3. (i) शोध में गुणवत्ता के लिए पी-एच.डी. शोध ग्रंथ (Thesis) जमा करते समय Research Paper की अनिवार्यता के क्रम में Peer reviewed Journal/Referred Journal/Impact factor Journal या रविशंकर विश्वविद्यालय के शोध पत्रिका में प्रकाशित होने पर ही मान्य करने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र DRC से लिया जावे।  
(ii) रिसर्च सुपरवाइजर के पंजीयन हेतु पी-एच.डी. आर्डिनैस में उल्लेखित स्टैंडर्ड जर्नल में प्रकाशित होने वाले शोध पत्र उनके शोध प्रबंध से बाहर की रचना होनी चाहिए। साथ ही प्रकाशन के लिए रिसर्च सुपरवाइजर को भी शोध में गुणवत्ता की दृष्टि से बिंदु 3(i) के अनुरूप प्रकाशन होने पर शोध पत्रों के प्रकाशन का लाभ मिल सकेगा।  
(iii) एक सत्र में शोध निर्देशक के निर्देशन में अधिकतम 2 शोधार्थियों के पंजीयन कराने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्र. 508 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2014

रायपुर, दिनांक: 07/06/2014

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)

## कार्यालयीन टीप

(विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.07.2014 के बिंदु क्रमांक 3)

क्र	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/ वि.वि. द्वारा दी गई सम्बद्धता	स्टाफ		टीप
			आवश्यक स्टाफ	वर्तमान में परि. 28 में कार्यरत स्टाफ	
1	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, हॉलीडे रिसॉर्ट के पीछे, कुम्हारी, जिला-दुर्ग	B.Ed. 100 Seat	7+1	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>महाविद्यालय प्लॉट नं.- 63/2 एवं 63/3 में है।</li> <li>विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20.04.2006 को सम्बद्धता दी गई।</li> <li>महाविद्यालय द्वारा 30.09.2014 तक परिनियम 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की पूर्ति हेतु हलफनामा प्रस्तुत किया गया है।</li> </ul>
2	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज पचेड़ा, अभनपुर, जिला-रायपुर	B.Ed. 100 Seat	7+1	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>महाविद्यालय प्लॉट नं.- 425 में है।</li> <li>विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 27.09.2012 को सम्बद्धता प्रदान की गई।</li> <li>महाविद्यालय द्वारा 30.09.2014 तक परिनियम 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की पूर्ति हेतु हलफनामा प्रस्तुत किया गया है।</li> </ul>
3	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	B.Ed. 100 Seat	7+1	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>महाविद्यालय प्लॉट नं.- 257/3 में है।</li> <li>विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 16.07.2012 को सम्बद्धता प्रदान की गई।</li> <li>महाविद्यालय द्वारा 30.09.2014 तक परिनियम 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की पूर्ति हेतु हलफनामा प्रस्तुत किया गया है।</li> </ul>
4	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं. -129, ग्राम-धनेली, पो.-माना कैम्प, रायपुर (छोगो) 492015	B.Ed. 100 Seat	7+1	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>महाविद्यालय प्लॉट नं.- 129 में है।</li> <li>विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20.05.2013 को सम्बद्धता प्रदान की गई।</li> <li>महाविद्यालय द्वारा 30.09.2014 तक परिनियम 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की पूर्ति हेतु हलफनामा प्रस्तुत किया गया है।</li> </ul>

निषय क्रमांक 4

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्  
(भारत सरकार वर्य एक विधिक संस्थान)  
पश्चिम क्षेत्रीय समिति



National Council for Teacher Education  
A Statutory Body of the Government of India  
Western Regional Committee

**To Be Published in Gazette of India Part III Section 4**

F. No. WRC/APP1333/202<sup>nd</sup>/B.P.Ed./2014/1158,56,57 Date: 11.03.14  
3160,6162,63,64  
**Recognition Order**

Whereas in terms of Section 14 of the NCTE Act, 1993, **SHRI RAWATPURA SARKAR INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION, PLOT NO. 629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668, VILL/POST - PACHEDA, TEHSIL- ABHANPUR, DIST- RAIPUR - 493663, CHHATTISGARH (Code No. WRCAPP1333)** had submitted an application on 30.09.2010 to the Western Regional Committee of the NCTE for grant of recognition B.P.Ed. course with an annual intake of 100 seats.

2. And whereas, on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee is satisfied that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, laboratory and that it fulfills such other conditions required for proper functioning of the institution for B.P.Ed., as determined by clause 7(9) of NCTE Regulations, 2009, and decided to issue letter of intent dt. 12.12.2013.

3. And whereas, reply dt. 11.02.2014 submitted by the institution was considered by WRC in its 202<sup>nd</sup> meeting held on February 27, 2014 and committee is satisfied that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and that it fulfills such other conditions required for proper functioning of the institution for B.P.Ed. course, as determined by the NCTE Regulations 2009.

4. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Western Regional Committee hereby grants recognition **SHRI RAWATPURA SARKAR INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION, PLOT NO. 629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668, VILL/POST- PACHEDA, TEHSIL- ABHANPUR, DIST- RAIPUR - 493663, CHHATTISGARH (Code No. WRCAPP1333)**, for starting B.P.Ed. course of Secondary level of 1 year duration with an annual intake of 100 from the academic Session 2014 - 2015.

5. Further, the institution is required to comply with all post recognition conditions enumerated from clause 8(11) to clause 8(16) of the NCTE (Recognition, Norms & Procedure) Regulations 2009.

6. The society sponsoring the institution shall transfer and vest the title of the land and building in the name of the institution within a period of six months from the date of this order and submit the documents to the Western Regional Committee. However, in case the society fails to do so due to local laws or rules or bye-laws, it shall intimate in writing with documentary evidence of its inability to do so.

7. The institution shall make admissions only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009 for the academic session 2014 - 2015.

Continue.....

nk

मनस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal-462002

दूरभाष: Phone: 0755-2739672, 2660915, 2660378, 2660372, फैक्स / Fax: 0755-2660912

Email: wrc@ncte-india.org Website: www.nctewrc.co.in

NCTE HQs Website: www.ncte-india.org



8. The recognition will operate for 2014-2015 only if the requirement of 200 teaching days in the session is fulfilled as per calendar of the University/Affiliating Body.

9. The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.

10. The institution shall adhere to the mandatory disclosure in the prescribed format and display up-to-date information on its Official website.

11. If, at any time, either on sub-motto inspection or on any representation received from any person, the WRC, NCTE is satisfied that the institution has contravened any of the provisions of the NCTE Act, or the Rules, Regulations, Orders made or issued there under or any condition subject to which the recognition was granted, the recognition may be withdrawn under the provisions of section 17 (1) of the NCTE Act.

(Sunil Swasthya)  
Regional Director

Encl: As above

The Manager to Govt. of India Press  
Department of Publications, (Gazette Section)  
Civil Lines, Delhi - 110054

Copy to:

1. The Principal, Shri Rawatpura Sarkar Institute of Physical Education, Plot No. 629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668, Vill/Post- Pacheda, Tehsil- Abhanpur, Dist- Raipur - 493663, Chhattisgarh.
2. The Secretary, Shri Rawatpura Sarkar Lok Kalyan Trust, Plot No. 629, Street- Champaran Road, Vill/Post- Pacheda, Tehsil- Abhanpur, Dist- Raipur- 493663, Chhattisgarh.
3. The Secretary, (Higher Education), Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Raipur- 492001, Chhattisgarh.
4. The Registrar, Pt. Ravi Shankar Shukla University, Amanaka, G.E. Road, Raipur-492010, Chhattisgarh.
5. The Director, Education Chhattisgarh State Council of Educational Research & Training, Shankar Nagar, Raipur-492006.
6. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001.
7. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002.
8. Office Order file/Institution file WRCAPP1333.

(Sunil Swasthya)  
Regional Director

28/07/2014

To Be Published in Gazette of India Part III Section 4

F. No. WRC/APP1330/202<sup>nd</sup>/B.Ed./2014/115843

Date: 1.3.14

Recognition Order

Whereas in terms of Section 14(1) of the NCTE Act, 1993, **RAVI SHANKAR GOBAL EDUCATION COLLEGE, PLOT NO.131/9-10-1, VILL- DHANELI, POST- MANA CAMP, TEHSIL- DHARSIWA, DIST- RAIPUR- 492015, CHHATTISGARH, (Code No. WRCAPP1330)** had submitted an application on **30.09.2010** to the Western Regional Committee of the NCTE for grant of recognition **B.Ed.** course with an annual intake of **100** seats.

2. And whereas, on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee is satisfied that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, laboratory and that it fulfills such other conditions required for proper functioning of the institution for **B.Ed.**, as determined by clause 7(9) of NCTE Regulations, 2009, and decided to issue letter of intent dt. **12.12.2013**.

3. And whereas, reply dated **24.02.2014** submitted by the institution was considered by WRC in its **202<sup>nd</sup>** meeting held on **February 27, 2014** and committee is satisfied that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and that it fulfills such other conditions required for proper functioning of the institution for **B.Ed.** course, as determined by the NCTE Regulations 2009.

4. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section **14 (3) (a)** of the NCTE Act, 1993, the Western Regional Committee hereby grants recognition **RAVI SHANKAR GOBAL EDUCATION COLLEGE, PLOT NO.131/9-10-1, VILL- DHANELI, POST- MANA CAMP, TEHSIL- DHARSIWA, DIST- RAIPUR- 492015, CHHATTISGARH (Code No. WRCAPP1330)**, for starting **B.Ed.** course of Secondary level of **1 year** duration with an annual intake of **100** from the academic Session **2014-15**.

5. Further, the institution is required to comply with all post-recognition conditions enumerated from clause 3(11) to clause 8(16) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations 2009.

6. The society sponsoring the institution shall transfer and vest the title of the land and building in the name of the institution within a period of six months from the date of this order and submit the documents to the Western Regional Committee. However, in case the society fails to do so due to local laws or rules or bye-laws, it shall intimate in writing with documentary evidence of its inability to do so.

7. The institution shall make admissions only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009 for the academic session **2014 - 2015**.

Continue.....

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal-462002

दूरभाष/ Phone: 0755-2739672, 2660915, 2660379, 2660372, फेक्स / Fax: 0755-2660912

Email: wrc@ncte-india.org Website: www.nctewrc.co.in

8. The recognition will operate for **2014-2015** only if the requirement of 200 teaching days in the session is fulfilled as per calendar of the University/Affiliating Body.

9. The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.

10. The institution shall adhere to the mandatory disclosure in the prescribed format and display up-to-date information on its Official website.

11. If, at any time, either on sue-motto inspection or on any representation received from any person, the WRC, NCTE is satisfied that the institution has contravened any of the provisions of the NCTE Act, or the Rules, Regulations, Orders made or issued there under or any condition subject to which the recognition was granted, the recognition may be withdrawn under the provisions of section 17 (1) of the NCTE Act.

(Sunil Srivastava)  
Regional Director

Encl: As above

The Manager to Govt. of India Press  
Department of Publications, (Gazette Section)  
Civil Lines, Delhi - 110054

Copy to:

1. The Principal, Ravi Shankar Gobal Education College, Plot No. 131/9-10-1, Vill- Dhaneli, Post- Mana Camp, Tehsil- Dharsiwā, Dist- Raipur-492015, Chhattisgarh.
2. The Secretary, Shri Rawatpura Sarkar Lok Kalyan Trust, Plot No.131/9-10-1, Vill- Dhaneli, Post- Mana Camp, Tehsil- Dharsiwā, Dist - Raipur-492015, Chhattisgarh.
3. The Secretary, (Higher Education), Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Raipur- 492001, Chhattisgarh.
4. The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Aama Naka, G.E. Road, Raipur, Chhattisgarh.
5. The Director, Education Chhattisgarh State Council of Educational Research & Training, Shankar Nagar, Raipur-492006.
6. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001.
7. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002.
8. Office Order file/Institution file WRCAPP1330.

  
Regional Director

**To Be Published in Gazette of India Part III Section 4**

F. No. WRC/APP1851/201<sup>st</sup>/B.Ed./2014/115760

Date: 22.2.14

**Recognition Order**

Whereas in terms of Section 14(1) of the NCTE Act, 1993, **SHRI RAWATPURA SARKAR COLLEGE OF EDUCATION, PLOT NO. 581/2, VILL - PACHEDA, POST - KURRU, TAHSIL- ABHANPUR, DIST- RAIPUR- 493661, CHHATTISGARH, (Code No. WRCAPP1851)** had submitted an application on **30.09.2011** to the Western Regional Committee of the NCTE for grant of recognition **B.Ed.** course with an annual intake of **100** seats.

2. And whereas, on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee is satisfied that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, laboratory and that it fulfills such other conditions required for proper functioning of the institution for **B.Ed.**, as determined by clause 7(9) of NCTE Regulations, 2009, and decided to issue letter of intent dt. **18.09.2013**.

3. And whereas, reply dated **10.02.2014** submitted by the institution was considered by WRC in its **201<sup>st</sup>** meeting held on **February 19-22, 2014** and committee is satisfied that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and that it fulfills such other conditions required for proper functioning of the institution for **B.Ed.** course, as determined by the NCTE Regulations 2009.

4. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section **14 (3) (a)** of the NCTE Act, 1993, the Western Regional Committee hereby grants recognition **SHRI RAWATPURA SARKAR COLLEGE OF EDUCATION, PLOT NO. 581/2, VILL - PACHEDA, POST - KURRU, TAHSIL- ABHANPUR, DIST- RAIPUR- 493661, CHHATTISGARH (Code No. WRCAPP1851), for starting B.Ed. course of Secondary level of 1 year duration with an annual intake of 100 from the academic Session 2014-15.**

5. Further, the institution is required to comply with all post-recognition conditions enumerated from clause 8(11) to clause 8(16) of the NCTE (Recognition, Norms & Procedure) Regulations 2009.

6. The society sponsoring the institution shall transfer and vest the title of the land and building in the name of the institution within a period of six months from the date of this order and submit the documents to the Western Regional Committee. However, in case the society fails to do so due to local laws or rules or bye-laws, it shall intimate in writing with documentary evidence of its inability to do so.

7. The institution shall make admissions only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009 for the academic session **2014 - 2015**.

Continue.....

8. The recognition will operate for **2014-2015** only if the requirement of 200 teaching days in the session is fulfilled as per calendar of the University/Affiliating Body.

9. The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.

10. The institution shall adhere to the mandatory disclosure in the prescribed format and display up-to-date information on its Official website.

11. If, at any time, either on sue-motto inspection or on any representation received from any person, the WRC, NCTE is satisfied that the institution has contravened any of the provisions of the NCTE Act, or the Rules, Regulations, Orders made or issued there under or any condition subject to which the recognition was granted, the recognition may be withdrawn under the provisions of section 17 (1) of the NCTE Act.

**(Sunil Srivastava)**  
**Regional Director**

**Encl: As above**

**The Manager to Govt. of India Press**  
**Department of Publications, (Gazette Section)**  
**Civil Lines, Delhi - 110054**

**Copy to:**

1. **The Principal, Shri Rawatpura Sarkar College of Education, Plot No. 581/2, Vill - Pacheda, Post - Kurru, Tahsil- Abhanpur, Dist- Raipur- 493661, Chhattisgarh.**
2. **The Secretary, Shri Rawatpura Sarkar, Lok Kalyan Trust, Plot No. 581/2, Champaran Road, Vill- Pacheda, Post- Kurru, Tehsil- Abhanpur, Dist- Raipur- 493661, Chhattisgarh.**
3. **The Secretary, (Higher Education), Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Raipur- 492001, Chhattisgarh.**
4. **The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, G.E. Road, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh.**
5. **The Director, Education Chhattisgarh State Council of Educational Research & Training, Shankar Nagar, Raipur-492006.**
6. **The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001.**
7. **The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002.**
8. **Office Order file/Institution file WRCAPP1851.**

  
**Regional Director**

*m/m*

Aug 30 3 5

Disha Park, Building 1, First Floor, Ram Nagar- Kota Marg  
Behind NIT and Hotel Piccadilly, Raipur (C.G.) 492 001  
Tele : 0771-4232000, 4232062, 4232029  
E-mail: principal.dishacollege@dishamail.com Web site: www.dcit.in



H.O. : Disha Crown, Katchana Road, Shankar Nagar, Raipur (C.G.) 492 007

No. 111/U-2-2/Affil.

Date 16.06.2014

To,  
The Registrar  
Pt. Ravishankar Shukla University  
Raipur (C.G.)

*Dr. A. K. Tiwari*

**Subject:-Closure of some subjects.**

Respected Sir,

We had applied to the Higher Education Department of Govt. of Chhattisgarh for closure of six subjects.

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. P.G.D.I.T.           | 4. B.Sc. (IT)     |
| 2. D.C.A.               | 5. B.Sc. (Elect.) |
| 3. P.G. Diploma in Yoga | 6. M.Sc. (Elect.) |

vide our letter no. 126/D-1/1/NOC and Affiliation, dated 13.03.2013. We have also sent to the university a similar letter for closure of the above subjects (letter no 127/U-2/2/ Affil. dt. 14.06.2013).

We have received the requisite order no. 2237/494/2014/38-2 dt. 05.06.2014 from the Higher Education Department Govt. of Chhattisgarh A copy of the letter is being enclosed herewith.

We urge the university to take up the matter and issue necessary order for closure of the above subjects in our college. We shall remain ever obliged for the same.

With Regards.

*A. K. Tiwari*  
**Dr. A. K. Tiwari**  
Principal  
Disha College, Raipur (C.G.)

Encl.: Copy of the Govt. order no. 2237/494/2014/38-2 dt. 05.06.2014.



छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::  
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक  
प्रति,

/ 494 / 2014 / 38-2

रायपुर, दिनांक / 06 / 2014

अध्यक्ष,  
दिशा एजुकेशन सोसायटी,  
दिशा टॉवर, शंकर नगर,  
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- छ: विषयों के संचालन की अनुमति निरस्त करने बाबत।

संदर्भ :- 1. विभागीय पत्र क्रमांक 2027 / 494 / 2014 / 38-2, दिनांक 19.05.2014  
2. आपका पत्र क्रमांक 103 / D-1/1/NOC & Affiliation Dated, 22<sup>nd</sup> may, 2014.

—00—

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 की धारा 19(2) में शासन को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तथा आपका पत्र दिनांक 22.05.2014 के आधार पर जनहित में दिशा कॉलेज, राम नगर, कोटा रोड, रायपुर में निम्न छ: विषयों के संबंध में दी गई अनुमति शैक्षणिक सत्र 2014-15 से निरस्त की जाती है :-

क्र.	विषय
01.	बी.एस-सी. प्रथम (आई.टी.)
02.	डी.सी.ए.
03.	पी.जी.डिप्लोमा इन आई.टी.
04.	बी.एस-सी. (इलेक्ट्रानिक्स)
05.	एम.एस-सी (इलेक्ट्रानिक्स)
06.	सर्टिफिकेट एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा

(अरुण कुमार चांदे)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
रायपुर, दिनांक 05 / 06 / 2014

पृ. क्रमांक 2237 / 494 / 2014 / 38-2  
प्रतिलिपि :-

01. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
02. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
04. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.),
05. कुलसचिव, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.),
06. प्राचार्य, दिशा एजुकेशन सोसायटी, दिशा टॉवर, शंकर नगर, रायपुर (छ0ग0)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

विषय 3003 6

# बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001

फोन : 07752-214204, फैक्स : 07752-260294

Shri Palesha

18.6.14

क्रमांक 615 / अका. / 2014



बिलासपुर, दिनांक 02/6/2014

प्रति,

कुलसचिव,

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)

विषय:- शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया की सम्बद्धता के संबंध में।

संदर्भ:- छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक-5391/2942/2013/38-2 रायपुर,

दिनांक 03-10-2013 एवं वि.वि.पत्र क्रमांक-1085/अका./2013 बिलासपुर, दिनांक 05-12-2013

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में अवगत कराना है कि माननीय कुलपति महोदय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य हुई चर्चा में शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) जो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्षेत्राधिकार आता है, का स्थानांतरण की प्रक्रिया सत्र 2014-15 में किये जाने का निर्णय लिया गया था। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया निर्णयानुसार महाविद्यालय का स्थानांतरण की कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्र. 616 / अका. / 2014

बिलासपुर, दिनांक 02/6/2014

प्रतिलिपि:-

- 01/ कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
- 02/ अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- 03/ प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया, जिला-कबीरधाम को सूचनार्थ।

कुलसचिव

1281 सा. प्र. 11

11.6.14



छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
::मंत्रालय::  
महानदी भवन, नया रायपुर



क्रमांक 5391/2942/2013/38-2  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 03/10/2013

✓ कुलसचिव,  
बिलासपुर विश्वविद्यालय,  
बिलासपुर (छ0ग0)

विषय :- शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया की संबद्धता के संबंध में मार्गदर्शन देने  
विषयक।

संदर्भ :- बिलासपुर विश्वविद्यालय का पत्र क्र.919/अका./2013, दिनांक 01.06.2013

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासकीय  
महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कवर्धा, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के  
प्रावधानानुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः  
शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कवर्धा को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,  
रायपुर से ही संबद्धता प्रदान की जावे, ताकि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

*[Handwritten Signature]*  
1110113

(अरुण कुमार चांदे)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक /10/2013

पृ. क्रमांक  
प्रतिलिपि :-

2942/2013/38-2

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ0ग0)।
2. कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)।
3. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, पण्डरिया, जिला-कवर्धा (छ0ग0)।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

—वे६—

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001

फोन:07752-214204,फैक्स-07752-260294



क्रमांक...10.85./अका./2013

बिलासपुर, दिनांक...05/12/13

प्रति,

अवर सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
उच्च शिक्षा विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)


विषय:- शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया की संबद्धता के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्र क्र.5391/2942/2013/38-2, रायपुर दिनांक 03.10.2013

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में अवगत कराना है कि प्रकरण के संबंध में माननीय कुलपति महोदय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य हुई चर्चा में शासकीय महाविद्यालय पंडरिया की सत्र 2013-14 के लिये छात्रों का रजिस्ट्रेशन संबंधि कार्य पूर्ण होने के कारण महाविद्यालय का स्थानांतरण की प्रक्रिया सत्र 2014-15 में किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेशानुसार,


  
कुलसचिव

पृ.क्रमांक...10.86/अका./2013

बिलासपुर,दिनांक...05/12/13/

प्रतिलिपि:-

- 01/ कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
- 02/ कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 03/ प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया को में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
कुलसचिव

**कार्यालयीन टीप**

वि.प. की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.07.2014 के बिंदु क्र. 87

क्र	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/ वि.वि. द्वारा दी गई सम्बद्धता	स्टाफ		टीप
			आवश्यक स्टाफ	वर्तमान में कार्यरत स्टाफ	
1	विप्र कला वाणिज्य एवं शारी. शिक्षा महा. डूमरतालाब, रायपुर	<b>Permanent Aff.</b> <b>B.Com., B.P.Ed.</b> <b>Non-Permanent Aff.</b> <b>B.Sc.</b> - Physics, Chemistry, F.C., Maths Diff. Stud. Computer Sc., <b>B.C.A.</b> (30), I -60 Seat <b>PGDCA (45)</b> <b>B.Com.Comp. Appl.</b> <b>B.P.E.I.II</b> <b>B.Ed.</b> (100) B.B.A.- I - 40 <b>M.P. Ed.</b> P.G.Diploma in Yoga Education & Philosophy	- प्राचार्य  - 4 - 3 - 3 - 3 - 8 <b>Nil</b> - 6	- प्राचार्य  - 3 - 3 - 3 - 8 <b>Nil</b> - 6	1. महाविद्यालय द्वारा बी.बी.ए. में प्रवेशित छात्र नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं की गई एवं शासन को पाठ्यक्रम बंद करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया है । (शासन से आदेश अप्राप्त) D.C.A. शासन की अनुमति 1990 / 1385 / 2012 / 38-2 दि. 02.06. 2012 नवीन विषय - D.C.A. (30)

क्र	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/ वि.वि. द्वारा दी गई सम्बद्धता	स्टाफ		टीप
			आवश्यक स्टाफ	वर्तमान में कार्यरत स्टाफ	
2	दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा	<b>Non-Permanent Aff.</b> <b>B.Sc.</b> - F.C., Physics, Maths, Comp. Science (50 Seat), <b>* I.T., Electronics</b> (40Seat) <b>B.C.A.</b> (60 Seat) <b>B.Com.</b> (120 Seat) Comp. Appli. (-100 Seat) <b>BBA-</b> (80 Seat) <b>B.Ed.</b> (100 Seat) <b>PGDCA</b> (30 Seat) <b>M.Sc.</b> - Comp. Science <b>* M.Sc. - Electronics.</b> <b>* PGDIT</b> <b>* DCA</b> <b>DHT</b> <b>* PG Dip. in Yoga</b> (30 Seat)	Phy - 2 Maths -2 - 5 (कम्प्यूटर साइंस) - 5 - 4 - 8  Hindi -1 English - 1	Phy - 2 Maths -2 - 4 - 5 - 4 - 7  Hindi -1 English - 1	1. कंप्यूटर साइंस में एक अतिरिक्त टीचर की आवश्यकता । 2. AICTE नार्म में 4 टीचर कार्यरत । 3. * तारांकित विषयों को बंद करने लिए शासन से आदेश प्राप्त हो चुका है । <b>शासन का आदेश</b> क्रं.1029 / 1391 / M / 2012 / 38-2 दिनांक 10. 05.2012 <b>सीट वृद्धि-</b> बी.कॉम.-60 सीट (120+60) बी.कॉम (कम्प्यूटर) -60 सीट (100+60) बी.बी.ए.- 60 सीट (80+60) बी.सी.ए.-30 सीट (60+30)

क्र	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/ वि.वि. द्वारा दी गई सम्बद्धता	स्टाफ		टीप
			आवश्यक स्टाफ	वर्तमान में कार्यरत स्टाफ	
3	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर	<b>Non-Permanent Aff.</b> <u>B.Com.</u> <u>B.Com I,II</u> - Computer Appl. Addl. Subject (40) (2002-03) <u>B.B.A.-I,II, III</u> Seat 30 <u>B.C.A.-I,II, III</u> Seat 30 <u>M.Com.</u> (60 Seat) <u>PGDCA</u>	- प्राचार्य वाणिज्य-5 प्रबंधन-3 कम्प्यूटर साइंस -3 हिंदी-1 अंग्रेजी-1	- प्राचार्य वाणिज्य-5 प्रबंधन-3 कम्प्यूटर साइंस -1 हिंदी-1 अंग्रेजी- Nil	1. कंप्यूटर साइंस में 2 अतिरिक्त टीचर की आवश्यकता है। 2. अंग्रेजी में 1 टीचर की आवश्यकता है। <b>शासन का आदेश</b> पत्र क्र. 1381/2012/38-2 दिनांक 18.05.2012 <b>सीट वृद्धि-</b> पी.जी.डी.सी.ए. -20 सीट <b>नवीन विषय -</b> डी.सी.ए.-30 सीट

क्र	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/ वि.वि. द्वारा दी गई सम्बद्धता	स्टाफ		टीप
			आवश्यक स्टाफ	वर्तमान में कार्यरत स्टाफ	
4	देव संस्कृति महाविद्यालय, जेवरा ग्राम खपरी, जिला-दुर्ग	<b>Non-Permanent Aff.</b> <u>B.Com.-I,II</u> - (All Compl. Sub. & Comp. Appl. Addition. Sub.)-50 <u>BCA-</u> (30) <u>B.Ed.</u> (100)	-3 -3 -8	-3 -3 -7	1. बी.एड. में 1 अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है। <b>शासन का आदेश -</b> पत्र क्र. 1801/ 1380/2021 दिनांक 16.05.2012 <b>नवीन पाठ्यक्रम -</b> (1) पी.जी.डी.सी.ए.-30 (2) बी.ए.-60 हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र

क्र	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/ वि.वि. द्वारा दी गई सम्बद्धता	स्टाफ		टीप
			आवश्यक स्टाफ	वर्तमान में कार्यरत स्टाफ	
5	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरान बस्ती रायपुर	<u>B.Com.</u> - All sub. (64Seat) With Comp. Appli. (40 Seat) <u>BCA-</u> (30 Seat) <u>DCHT</u> (40) <u>PGDCA</u> (80)	-3 -3	-3 -2	1. कंप्यूटर साइंस में 1 अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है। <b>शासन का आदेश -</b> <b>नवीन पाठ्यक्रम -</b> MSW- 20 Seat (2013) BBA-30 Seat (2011-12) DCA-30 <b>सीट वृद्धि-</b> B.Com.-30 seat (64+30)